2022/180

प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रामपुराना की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 250 में मेरा नाम रतना S/o उदा मील है व जबकि वास्तविक नाम रतन लाल S/o नेंदा मील है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांकः–

प्रार्थी
रतन
(.....)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रामपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 250 में प्रार्थी का नाम रतना S/o उदा मील दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रतनलाल S/o नेंदालाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

18/5/2022

भू0अ0नि0 18/05/2022

पटवारी 18/5/2022

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी ..... भू0अ0नि0 ..... एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम रामपुराना की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 250 में प्रार्थी का नाम रतना S/o उदा मील के बजाय रतनलाल S/o नेंदा लाल मील किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रामपुराना जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 250 में दर्ज प्रार्थी का नाम रतना S/o उदा मील के स्थान पर रतनलाल S/o नेंदा लाल मील संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)